छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण

पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर, राजभवन के पास, जी.ई.रोड, रायपुर (छत्तीसगढ़)
फोन नं. 0771–4099953, Website :cssda.cg.nic.in, Email :cgcssdm@gmail.com

क्रमांक / 1960 / छराकौविप्रा / CMSSY / 2018 रायपुर, दिनांक 13 / 06 / 2018

प्रति,

कलेक्टर सह अध्यक्ष,
जिला कौशल विकास प्राधिकरण,
समस्त जिला (छ0ग0)

विषय :– **मुख्यमंत्री कौशल स्व–रोजगार योजना (CMSSY) अन्तर्गत दिशा–निर्देश जारी करने बाबत्।**

–––––00–––––

उपरोक्त विषयान्तर्गत छ0ग0 शासन, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र क्रमांक एफ 5–10 / 2018 / कौ.वि. / 42 नया रायपुर दिनांक 31 / 05 / 2018 द्वारा मुख्यमंत्री कौशल स्व–रोजगार योजना के क्रियान्वयन एवं अनुपालन के संबंध में प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त उपरान्त वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु लाईवलीहुड कॉलेज में कौशल प्रशिक्षित हितग्राहियों को स्वरोजगार का अवसर प्रदान करने की दृष्टि से व्यक्तिगत व्यवसाय के लिए केन्द्र शासन एवं राज्य शासन द्वारा इस योजनान्तर्गत जिला अग्राणी बैंक अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण अनुदान योजना के तहत हितग्राहियों के व्यवसाय की कुल लागत राशि क्रमशः रू. 100000 / –, रू. 150000 / – एवं रू. 200000 / – तक की सीमा निर्धारित की गई है। ऋण राशि एवं आर्थिक सहायता अंश राशि **क्रमशः 90:10 अनुपात** में आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रावधानित है।

अतः इस योजना को सुचारू रूप से संचालन करने हेतु कौशल स्व–रोजगार योजना अन्तर्गत हितग्राहियों का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य सहित दिशा–निर्देश आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण
रायपुर, छत्तीसगढ

पृ. क्रमांक / 1960 A / छराकौविप्रा / CMSSY / 2018 रायपुर, दिनांक 13 / 06 / 2018

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, छ0ग0 शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।
2. सचिव, छ0ग0 शासन, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, समस्त जिला छ0ग0 ।
4. सहायक संचालक, समस्त जिला कौशल विकास प्राधिकरण छ0ग0 ।
5. नोडल अधिकारी / प्राचार्य, जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, समस्त जिला छ0ग0 ।
6. सुश्री सीमा कुमारी, उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी, (सूचना प्रौद्योगिकी) उक्त आदेश सी.एस.एस.डी.ए. एवं एस पी.एल.सी.एस. के वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
4. संबंधित शाखा फाईल हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण
रायपुर, छत्तीसगढ

छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण

क्रमांक /1276/छगराकौविप्रा/2018 रायपुर, दिनांक 16/05/2018

मुख्यमंत्री कौशल स्व–रोजगार योजना

दिशा–निर्देश

छत्तीसगढ़ शासन, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में नवीन मद अन्तर्गत मुख्यमंत्री कौशल स्व–रोजगार योजना प्रारम्भ की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों में दिनांक 01 अप्रैल 2018 से दिनांक 31 मार्च 2023 तक की अवधि में मुख्यमंत्री कौशल स्व–रोजगार योजना संचालित की जाएगी।

छत्तीसगढ़ राज्य में निवासरत युवाओं को उनकी अभिरूचि के किसी भी व्यवसाय में उनकी पात्रता तथा अभिवृत्ति के अनुरूप कौशल विकास का अधिकार उपलब्ध कराने के लिए भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकर अधिनियम, 2013 अधिनियमित किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा "छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार अधिनियम, 2013" के तहत अपने युवा साथियों को अपना कौशल विकास करने के लिए कानूनी अधिकार दिया है। अधिनियम के परिपालन में छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण एवं राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी पंजीकृत है। उक्त पंजीकृत प्राधिकरण एवं सोसायटी हेतु गठित शासी परिषद् के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री तथा मुख्य सचिव कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष है। छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला कौशल विकास प्राधिकरण एवं जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी संचालित की जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण एवं राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी की गतिविधियों के पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करने हेतु, कौशल प्रशिक्षण से संबंधित दिशा–निर्देश एवं योगदान/मार्गदर्शन हेतु शासी परिषद् (गवर्निंग कांउसिल) के कार्यकारिणी समिति गठित है।

मुख्यमंत्री कौशल स्वरोजगार योजना अंतर्गत स्वरोजगार हेतु ऋण एवं अनुदान प्रदान करने हेतु जिला स्तर पर एक छानबीन समिति का गठन किया जाना है। जिला स्तर पर गठित छानबीन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगें :–

1. कलेक्टर सह अध्यक्ष, जि.कौ.वि.प्राधि. — अध्यक्ष
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत — सचिव

3. सहायक संचालक, जि.कौ.वि.प्रा/प्राचार्य/
सहा.परि.अधिकारी, जि.परि.लाई.कॉलेज. सोसायटी — सदस्य/नोडल

4. रोजगार अधिकारी, जिला रोजगार एवं मार्गदर्शन केंद्र — सदस्य

5. जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक (District Lead Bank Manager) — सदस्य

6. जिला वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अधिकारी — सदस्य

(नोट : आवश्यक होने पर अध्यक्ष समिति में अन्य किसी भी स्तर के अधिकारी एवं प्रतिनिधि को बुला सकते हैं।)

जिला नोडल अधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत ऋण सहायता प्रकरण प्राप्त कर योजना अनुरूप ऋण स्वीकृति हेतु गठित छानबीन समिति की अनुशंसा प्राप्त करने के उपरांत बैंकों को प्रकरण अग्रेषित किया जायेगा।

2. योजना का उद्देश्य :–

छत्तीसगढ़, देश का ऐसा पहला राज्य है, जिसने ऐसा कानून बनाया है, जिसमें 14 से 45 वर्ष की आयु सीमा के हमारे युवा साथी अपनी रूचि के अनुसार हुनर प्राप्त करने के लिए कलेक्टर को आवेदन देकर संबंधित कोर्स में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। युवाओं को कौशल विकास के लिए अपने शहर या अपने गांव की जरूरतों के अनुसार तथा रूचि के अनुसार हुनर प्राप्त करने के लिए कानून में 109 सेक्टर्स के 804 कोर्सेस उपलब्ध है। केन्द्र सरकार एवं राज्य शासन की सोच के अनुरूप राज्य के गरीब, दुखी परिवार एवं बेरोजगार लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने की दृष्टि से गुणवत्तायुक्त एवं रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण एवं लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी का गठन किया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य के युवाओं को उनकी रुचि के आधार पर कौशल विकास के क्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों में निःशुल्क प्रशिक्षण राज्य में संचालित लाईवलीहुड कॉलेज एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (VTP) द्वारा प्रदान किया जाता है। जिला प्रशासन एवं प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा प्रशिक्षण पश्चात् प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार मेला आयोजित कर रोजगार एवं स्वरोजगार उपलब्ध करने का प्रयास किया जाता है। प्रशिक्षण पश्चात मुख्यमंत्री कौशल स्व–रोजगार योजना अन्तर्गत बैंक के माध्यम से ऋण आधारित शासकीय अनुदान राशि प्रदान कर हितग्राहियों को स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार स्थापित कर युवाओं को आत्म–निर्भर बनाना ही योजना का मुख्य उद्देश्य है।

3. निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य :–

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री कौशल स्वरोजगार योजना अंतर्गत प्रशिक्षित हितग्राहियों को उद्योग/सेवा/व्यवसाय के रूप में स्व–रोजगार स्थापित करने के लिए जिलों को प्राप्त कुल वार्षिक प्रशिक्षण लक्ष्य में से ''प्रशिक्षित बैच के प्रति बैच एक हितग्राही को ऋण सहायता उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार प्रति बैच साईज 20/30 में से 01/02 हितग्राही का चयन मुख्यमंत्री कौशल स्वरोजगार योजना हेतु किया जाएगा,'' जिसमें लाईवलीहुड कॉलेज एवं अन्य वीटीपी संस्थान से प्रशिक्षित प्रमाणीकृत हितग्राहीयों को ऋण सहायता के रूप में अनुदान प्रदान किया जाएगा। राज्य के 27 जिलों में लगभग 10000 हितग्राहियों को निर्धारित प्रक्रिया एवं नियम शर्तों के अधीन चयन उपरांत इस सुविधा का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत लाभान्वित हितग्राहियों को व्यवसाय लागत राशि रू. 100000/– से 200000/– तक सीमा होगी।

उदाहरणार्थ :–

वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु राज्य का वार्षिक लक्ष्य 149644 है। इस लक्ष्य को आगामी वित वर्ष 2018–19 का अनुमानित लक्ष्य मानते हुए मुख्यमंत्री कौशल विकास स्वरोजगार योजनान्तर्गत कुल 10000 हितग्राहियों को अनुदान सहायता योजना का लक्ष्य है जो कि राज्य के कुल प्रशिक्षण लक्ष्य का लगभग 5 % है। जिले की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों के प्रतिशत के अनुसार उक्त हितग्राहियों को ऋण से लाभान्वित किया जाना अनिवार्य होगा।

4. ऋण पर अनुदान प्रकिया

मुख्यमंत्री कौशल स्वरोजगार योजनान्तर्गत 27 जिले में लगभग 10000 प्रमाणिकृत प्रशिक्षित हितग्राहियों को शामिल किया जाएगा।

क.	प्रकिया	ऋण पर अनुदान राशि प्रदान करने की प्रकिया		
		व्यवसाय की कुल लागत राशि (100%)	हितग्राही का बैंक ऋण राशि (90%)	शासन का अनुदान अंश राशि (10%)
1	प्रथम	100000	90000	10000
2	द्वितीय	150000	135000	15000
3	तृतीय	200000	180000	20000

5. पात्रता, नियम एवं शर्ते :– योजना का कार्यक्षेत्र संपूर्ण छत्तीसगढ़ में होगा (अर्थात योजना का लाभ मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत प्रमाणीकृत कुशल युवाओं को छत्तीसगढ़ सीमा के भीतर स्वरोजगार हेतु उद्यम स्थापित करने पर दिया जावेगा।

1. छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो।

2. हितग्राही 18 से 45 वर्ष की आयु के मध्य का हो।

3. शैक्षणिक योग्यता मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु निर्धारित अर्हता के अनुरूप हो।

4. हितग्राही मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत प्रशिक्षित एवं प्रमाणीकृत हो।

5. योजनार्न्तगत समस्त राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक, ग्रामीण विकास बैंक से है, जो इस योजनार्न्तगत मान्य हों, से पूर्व में ऋण बकाया न हो एवं अशोधी (Defaulter) न हो।

6. हितग्राही सिर्फ एक बार ही इस योजना के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र होगा।

7. योजनान्तर्गत प्रशिक्षित हितग्राही को उद्योग/सेवा/व्यवसाय या व्यवसाय का बढ़ोत्तरी के रूप में स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए देय होगी।

8. स्वरोजगार इकाई की स्थापना अंतर्गत शासन की समस्त सुविधाएं जो सूक्ष्म एवं लघु उद्योग स्थापित करने के संबंध में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग संवर्धन नीति अंतर्गत शासन से प्राप्त होने वाली समस्त सुविधाएं प्राप्त योग्य होगी।

9. हितग्राही द्वारा ऋण/ब्याज के पुर्नभुगतान में डिफाल्ट करने की स्थिति में योजना अंतर्गत दी गई सहायता भू–राजस्व बकाया की तरह वसूली योग्य होगी तथा भविष्य में किसी भी तरह की सहायता देय नहीं होगा।

10. योजनानतर्गत प्रशिक्षित हितग्राहियों के द्वारा गलत/भ्रामक जानकारी अथवा गलत तरीके से सहायता प्राप्त करने पर हितग्राही के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जा सकेगी। इस पक्ष में राशि रू. 100/– के स्टॉम्प पेपर में शपथ प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

11. आवेदक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रमाणीकरण उपरांत निर्धारित प्रपत्र में जिला कौशल विकास प्राधिकरण/जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज में जमा कराना होगा।

12. निर्धारित आवेदन पत्र राशि रू. 10/– जमा कर प्राप्त कर सकते हैं।

13. बैंक द्वारा लक्षित हितग्राही को कुल ऋण राशि की प्रदायगी एकमुश्त की जायेगी।

14. कौशल प्रशिक्षण बैच पूर्ण होने के पश्चात् एक वर्ष की अवधि तक ही योजना में लाभ की पात्रता होगी। (प्रथम वर्ष के लिए शर्त शिथिल करने हेतु चयन समिति को विशेष अधिकार दिया जा सकता है।)

15. जिस ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो तो उसी ट्रेड पर आधारित स्वरोजगार उद्योग के लिए ऋण की पात्रता होगी।

16. समस्त नोडल अधिकारी द्वारा 03 माह के भीतर प्रकरण का निराकरण करने की कार्यवाही की जाएगी। संबंधित बैंकों से प्रकरण की स्वीकृति उपरान्त हितग्राही के बैंक खाते में योजनान्तर्गत अनुदान अंश राशि का भुगतान किया जाएगा।

17. योजनान्तर्गत लाभान्वित हितग्राहियों का प्रारंभिक स्तर पर ऋणी का चयन होने के उपरांत हितग्राही से संबंधित समस्त बैकग्राऊन्ड सर्च करने का अधिकार संबंधित बैंक एवं जिले के नोडल अधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा।

(टीप :– उक्त योजनान्तर्गत जारी किए गए दिशा–निर्देश एवं प्रकिया शासन के निर्देशानुसार समय–समय पर संशोधित किए जा सकेंगे)।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण
रायपुर, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण

वित्तीय वर्ष 2018–19 अन्तर्गत मुख्यमंत्री कौशल स्व–रोजगार योजना हेतु जिलेवार लाईवलीहुड कॉलेज के लिए ऋण पर आर्थिक सहायता हेतु भौतिक एवं वित्तीय निर्धारित लक्ष्य

क्र.	जिला का नाम	लक्षित हितग्राहियों की संख्या	प्रति हितग्राही आर्थिक सहायता की लागत राशि का 10% अंश राशि	योग	लक्षित हितग्राहियों की संख्या	प्रति हितग्राही आर्थिक सहायता की लागत राशि का 10% अंश राशि	योग	लक्षित हितग्राहियों की संख्या	प्रति हितग्राही आर्थिक सहायता की लागत राशि का 10% अंश राशि	योग	लक्षित हितग्राहियों की कुल संख्या	बैंक ऋण की कुल राशि	शा. आर्थिक सहायता कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	बेमेतरा	32	10000	320000	16	15000	240000	12	20000	240000	60	7200000	800000
2	मुंगेली	32	10000	320000	16	15000	240000	12	20000	240000	60	7200000	800000
3	जांजगीर–चांपा	32	10000	320000	16	15000	240000	12	20000	240000	60	7200000	800000
4	बस्तर	27	10000	270000	13	15000	195000	10	20000	200000	50	5985000	665000
5	दन्तेवाड़ा	26	10000	260000	13	15000	195000	10	20000	200000	49	5895000	655000
6	सुकमा	16	10000	160000	8	15000	120000	9	20000	180000	33	4140000	460000
7	बीजापुर	16	10000	160000	8	15000	120000	9	20000	180000	33	4140000	460000
8	कांकेर	24	10000	240000	12	15000	180000	9	20000	180000	45	5400000	600000
9	कोण्डागांव	16	10000	160000	8	15000	120000	9	20000	180000	33	4140000	460000
10	नारायणपुर	16	10000	160000	8	15000	120000	9	20000	180000	33	4140000	460000
11	राजनांदगांव	24	10000	240000	12	15000	180000	9	20000	180000	45	5400000	600000
12	कवर्धा	16	10000	160000	8	15000	120000	9	20000	180000	33	4140000	460000
13	गरियाबंद	16	10000	160000	8	15000	120000	9	20000	180000	33	4140000	460000
14	सरगुजा	24	10000	240000	12	15000	180000	9	20000	180000	45	5400000	600000
15	कोरिया	16	10000	160000	8	15000	120000	9	20000	180000	33	4140000	460000
16	जशपुर	32	10000	320000	16	15000	240000	12	20000	240000	60	7200000	800000
17	बलरामपुर	16	10000	160000	8	15000	120000	9	20000	180000	33	4140000	460000
18	रायपुर	40	10000	400000	20	15000	300000	15	20000	300000	75	9000000	1000000
19	धमतरी	40	10000	400000	20	15000	300000	15	20000	300000	75	9000000	1000000
20	बलौदाबाजार	40	10000	400000	20	15000	300000	15	20000	300000	75	9000000	1000000
21	दुर्ग	40	10000	400000	20	15000	300000	15	20000	300000	75	9000000	1000000
22	बिलासपुर	40	10000	400000	20	15000	300000	15	20000	300000	75	9000000	1000000
23	सूरजपुर	40	10000	400000	20	15000	300000	16	20000	300000	76	9000000	1000000
24	कोरबा	40	10000	400000	20	15000	300000	15	20000	300000	75	9000000	1000000
25	महासमुंद	40	10000	400000	20	15000	300000	15	20000	300000	75	9000000	1000000
26	रायगढ़	40	10000	400000	20	15000	300000	15	20000	300000	75	9000000	1000000
27	बालोद	40	10000	400000	20	15000	300000	15	20000	300000	75	9000000	1000000
कुल योग		781			390			318			1488	180000000	20000000

छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण

वित्तीय वर्ष 2018–19 अन्तर्गत मुख्यमंत्री कौशल स्व–रोजगार योजना हेतु जिलेवार लाईवलीहुड कॉलेज के लिए ऋण पर आर्थिक सहायता हेतु भौतिक एवं वित्तीय निर्धारित लक्ष्य

क.	जिला का नाम	लक्षित हितग्राहियों की कुल संख्या	शा. आर्थिक सहायता लागत का 10%	बैंक ऋण लागत राशि का 90%	योग राशि (4+5)
1	2	3	4	5	6
1	बेमेतरा	60	800000	7200000	8000000
2	मुंगेली	60	800000	7200000	8000000
3	जांजगीर–चांपा	60	800000	7200000	8000000
4	बस्तर	50	665000	5985000	6650000
5	दन्तेवाड़ा	49	655000	5895000	6550000
6	सुकमा	33	460000	4140000	4600000
7	बीजापुर	33	460000	4140000	4600000
8	कांकेर	45	600000	5400000	6000000
9	कोण्डागांव	33	460000	4140000	4600000
10	नारायणपुर	33	460000	4140000	4600000
11	राजनांदगांव	45	600000	5400000	6000000
12	कवर्धा	33	460000	4140000	4600000
13	गरियाबंद	33	460000	4140000	4600000
14	सरगुजा	45	600000	5400000	6000000
15	कोरिया	33	460000	4140000	4600000
16	जशपुर	60	800000	7200000	8000000
17	बलरामपुर	33	460000	4140000	4600000
18	रायपुर	75	1000000	9000000	10000000
19	धमतरी	75	1000000	9000000	10000000
20	बलौदाबाजार	75	1000000	9000000	10000000
21	दुर्ग	75	1000000	9000000	10000000
22	बिलासपुर	75	1000000	9000000	10000000
23	सूरजपुर	75	1000000	9000000	10000000
24	कोरबा	75	1000000	9000000	10000000
25	महासमुंद	75	1000000	9000000	10000000
26	रायगढ़	75	1000000	9000000	10000000
27	बालोद	75	1000000	9000000	10000000
योग राशि		**1488**	**20000000**	**180000000**	**200000000**